



पत्रांक- 5468 /सि०वि०वि०/प०सा०/2026

दिनांक 18-03-2026

(अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध)

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

विषय- सम सेमेस्टर एंव वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 हेतु परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आनलाइन विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-04/2018/101/सत्तर-1-2018-16(9)/2018 दिनांक 1 फरवरी, 2018 एवं पत्र संख्या-9/2018/1036/सत्तर-1-2018-16(9)/2018 दिनांक 15 नवम्बर, 2018 द्वारा महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में परीक्षा केन्द्र बनाये जाते हैं। उक्त क्रम में सत्र 2025-26 के सम सेमेस्टर की परीक्षा जो माह-अप्रैल, 2026 के मध्य से प्रस्तावित है। महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया पूरित की जानी है-

1-जो महाविद्यालय सत्र 2025-26 के सम सेमेस्टर में परीक्षा केन्द्र बनवाने के इच्छुक हैं, वे महाविद्यालय पत्र के संलग्नक(1) के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ले तथा ऐसे महाविद्यालय सी०सी०टी०वी० मानिट्रिंग हेतु आनलाइन विवरण व संचालन हेतु विश्वविद्यालय के टीम के साथ सगन्वय कराकर उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लें। उसी के उपरान्त महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर विचार किया जायेगा।

2-निर्धारित मानक के आलोक में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिये गये लिंक- **College Information for Exam Center Allotment-2026** पर आनलाइन विवरण पूरित करते हुए उसकी हार्डकापी समस्त प्रमाणित संलग्नकों सहित सील बन्द पैकेट में सामान्य परीक्षा कार्यालय में अधिकतम दिनांक **30-03-2026** तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे आपके महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर विचार किया जा सके।

संलग्नक-निर्धारित प्रारूप व संलग्नक(1)।

नोट-सी०सी०टी०वी० मानिट्रिंग उपयुक्तता प्रमाण पत्र दिनांक 30-03-2026 से 06-04-2026 तक विश्वविद्यालय से प्राप्त कर ले।

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक- /तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 2-निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- 4-डॉ० अविनाश प्रताप सिंह, मीडिया प्रभारी/जनसम्पर्क अधिकारी, सि०वि०वि०क०,सि०।
- 5-प्रभारी कोडिंग सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं सम्बन्धित महाविद्यालय के लॉगिन आई०डी० पर अपलोड कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करागा सुनिश्चित करे।
- 6-सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।

परीक्षा नियंत्रक



—संलग्नक(1)—

विश्वविद्यालय की आगामी सम सेमेस्टर (Even Semester) परीक्षा-2026 की शुचिता, पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु, उत्तर प्रदेश शासन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देशों के अनुपालन में, समस्त संबद्ध महाविद्यालयों को निम्नलिखित तकनीकी निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते हैं:—

सॉफ्टवेयर मानक:—विश्वविद्यालय के केंद्रीय कंट्रोल रूम (सेंट्रल मॉनिटरिंग सेल) से सीधे जुड़ने हेतु समस्त महाविद्यालयों में **KVMS Pro / KVMS Pro Lite** अथवा **SPSS** सॉफ्टवेयर आधारित निगरानी प्रणाली का क्रियाशील होना अनिवार्य है।

NVR / DVR संगतता : समस्त प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय में स्थापित NVR (Network Video Recorder) अथवा DVR अनिवार्य रूप से उपर्युक्त सॉफ्टवेयर (KVMS Pro / Lite / SPSS) को सपोर्ट करते हों, ताकि उनकी लाइव फीड विश्वविद्यालय के सर्वर पर निर्बाध रूप से प्राप्त की जा सके।

1. **हाई-स्पीड इंटरनेट एवं हॉटस्पॉट पर प्रतिबंध :** सुचारु लाइव स्ट्रीमिंग हेतु प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड /फाइबर इंटरनेट (Broadband/Fiber) कनेक्शन होना अनिवार्य है। पूर्व परीक्षाओं के दौरान यह पाया गया था कि कई महाविद्यालय अपने मोबाइल के 'हॉटस्पॉट' (Hotspot) अथवा मोबाइल सिम के माध्यम से DVR/NVR को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण नेटवर्क अस्थिर रहता है और 'सीसीटीवी' लाइव नहीं हो पाता है। अतः ऐसी किसी भी अस्थाई व्यवस्था की अनुमति नहीं होगी। महाविद्यालय इस समस्या का पूर्ण समाधान करते हुए स्थाई इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित करें।
- 2- **ब्रांड विशिष्ट निर्देश :** ऐसे महाविद्यालय जहाँ वर्तमान में True Cloud, Esee Cloud, Seetong, Hi Connect अथवा अन्य किसी भी ब्रांड के DVR/NVR स्थापित हैं, वे तत्काल तकनीकी स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि उनके उपकरण KVMS Pro / KVMS Pro Lite / SPSS सॉफ्टवेयर के साथ संगत हों।
- 3— **परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को सूचना :** यदि आपके महाविद्यालय में स्थापित सिस्टम KVMS Pro, KVMS Pro Lite अथवा SPSS सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं, तो उसकी विस्तृत तकनीकी जानकारी (डिवाइस सिरियल नंबर और पासवर्ड / मॉडल नंबर एवं IP एड्रेस के साथ) अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में अविलंब प्राप्त करवाना सुनिश्चित करें।
- 4— **निरीक्षण एवं जाँच :** परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व, विश्वविद्यालय के 'CCTV' मॉनिटरिंग कक्ष द्वारा प्रत्येक महाविद्यालय के कैमरों की ऑनलाइन कनेक्टिविटी, इंटरनेट स्पीड और फीड की गुणवत्ता की सघन जाँच की जाएगी।


विशेष चेतावनी :जिन महाविद्यालयों की लाइव फीड तकनीकी कारणों, इंटरनेट की धीमी गति, मोबाइल हॉटस्पॉट के प्रयोग अथवा सॉफ्टवेयर असंगतता के कारण CCTV मॉनिटरिंग कक्ष द्वारा सफल(Success) नहीं पाई जाएगी, उन्हें सम सेमेस्टर परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबंधक का होगा।



परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु महाविद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का विवरण-

क्रमांक	महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का विवरण	विवरण
1	महाविद्यालय का कोड तथा पूरा नाम व पता	
2	महाविद्यालय का मोबाइल नम्बर/व्हाट्सएप नम्बर	
3	महाविद्यालय का ई-मेल पता	
4	प्राचार्य/प्राचार्या का नाम उनकी नियुक्ति का स्वरूप (संविदा/यथा कार्यवाहक के रूप में प्रबन्ध समिति का अनुमोदन की प्रति) तथा उनकी नियुक्ति की तिथि एवं अनुभव विगत 02 वर्ष के वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी0 एवं व्हाट्सएप नम्बर सहित।	
5	प्रबन्धक का नाम, पता, मो० नं०, ई-मेल पता सहित	
6	संचालित पाठ्यक्रम तथा कक्षावार छात्रों की संख्या(छात्र-छात्राओं का पृथक-पृथक)	
7	महाविद्यालय में कार्यरत विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षकों का विषयवार विवरण।	
8	क्या महाविद्यालय विगत 03 वर्षों में सामूहिक नकल में दोषी सिद्ध हुआ है ? यदि हां तो किस वर्ष	
9	महाविद्यालय में प्रश्न-पत्र एवं अन्य गोपनीय सामग्री रखने हेतु सी०सी०टी०वी० कैमरा युक्त स्ट्रॉग रूम का विवरण	
10	शासन द्वारा परीक्षा कक्ष में बैठने हेतु निर्धारित 20 वर्ग फीट प्रति छात्र क्षेत्रफल के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय में उपलब्ध कक्षाओं तथा उसमें बैठने की क्षमता सहित विवरण	
11	एक पाली में महाविद्यालय में बैठने वाले परीक्षार्थियों की अधिकतम संख्या।	
12	महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं हेतु पृथक-पृथक शौचालयों की संख्या एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता।	
13	केन्द्राध्यक्ष के कमरे की उपलब्धता।	
14	विद्युत व्यवस्था एवं जेनेरेटर की उपलब्धता	
15	उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों की संख्या, नवीनीकरण की तिथि सहित।	
16	प्रत्येक कक्ष में न्यूनतम दो वायस रिकार्डर सी०सी०टी०वी०, कैमरा, डी०वी०आर० तथा पारदर्शितापूर्ण नकल विहित परीक्षा कराये जाने एवं उसकी वेबकास्टिंग द्वारा मानीटरिंग किये जाने के उद्देश्य से वायस रिकार्डर लगा होना अनिवार्य है। उक्त सुविधा सहित उपलब्ध कक्षों का विवरण, बड़े हाल की स्थिति में कवरेज क्षेत्र के अनुसार कैमरे की संख्या सम्पूर्ण सुविधा सहित उपलब्ध होना अनिवार्य है। (क)-डिवाइस का मॉडल एवं कम्पनी का नाम। (ख)-डिवाइस का सीरियल नम्बर। (ग)-यूजर आईडी0 एवं पासवर्ड। (घ)-वेबकास्टिंग हेतु अप्लीकेशन का नाम।	
17	प्राचार्य कक्ष की उपलब्धता।	
18	महाविद्यालय की चाहरदीवारी एवं गेट की स्थिति(ऊँचाई सहित)	
19	सम्भावित कक्ष प्ररिप्रेक्षण करने वाले शिक्षकों के नाम एवं मो० नं०	
20	परीक्षा के समय कक्ष प्ररिप्रेक्षण हेतु आस-पास के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज के शिक्षक अथवा सेवानिवृत्त शिक्षकों की सम्भावित उपलब्धता का विवरण	
21	महाविद्यालय से निकटतम स्थित महाविद्यालयों के नाम, दूरी व पता सहित। (गूगल मैप के आधार पर) (क) 08 किमी० की परिधि में स्थित महाविद्यालय (ख) 08-10 किमी० की परिधि में स्थित महाविद्यालय	
22	मुख्य मार्ग से महाविद्यालय को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग की स्थिति एवं विवरण सहित।	
23	महाविद्यालय से निकटतम पुलिस स्टेशन का नाम मोबाइल नम्बर सहित।	
24	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के समस्त कर्मचारियों/सुरक्षा गार्डों का विवरण (नाम, पता, मो० नं०) जिनसे परीक्षा कार्य में सहयोग लिया जायेगा।	
25	(क)- महाविद्यालय में स्नातक सम सेमेस्टर परीक्षा हेतु (विज्ञान, कला एवं वाणिज्य के विषय वार एवं कक्षावार) छात्रों की संख्या (ख)- महाविद्यालय में विषय वार स्नातकोत्तर सम सेमेस्टर परीक्षा में छात्रों की संख्या	

नोट-क्रमांक 4, 7, 15, 16, 20, 21, 24 व 25 के साथ प्रमाणित प्रति भी संलग्न करना आवश्यक है।


परीक्षा नियंत्रक